न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 319/2023

अनवान : –

1. सावत्री पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सरस्वती पुत्री जीराम पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. गीता पुत्री जीराम पत्नी दीपाराम जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
3. गुड्डी पुत्री जीराम पत्नी सादुलराम जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
4. भंवरी पुत्री जीराम पत्नी मोहरसिंह जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
5. रेशमी पुत्री जीराम पत्नी संगताराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
6. नानीबाई पुत्री जीराम पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट साकिन चंगोई तहसील तारानगर।
7. विनोद कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र जीराम जाति जाट साकिन धीरवास तहसील तारानगर जिला चुरू।
10. हरदत पुत्र जीराम जाति जाट साकिन धीरवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह, अधिवक्ता **वादीगण**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 07/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 107 की 2.4530, 111 की 5.0070, 157 की 4.3250 कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में जीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन धीरवासबड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू 592 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था।

जीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन धीरवासबड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू ने राही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 107 की 2.4530, 111 की 5.0070, 157 की 4.3250 कुल 17.7850 हैक्ट भूमि में से 592 हिस्सा की अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 21.02.2018 को नोटेरी पब्लिक नोहर से अपनी पुत्रीयों प्रतिवादीया न0 1 ता 6 के पक्ष में बहिब 340 हिस्सा व अपने पोत्र रामनिवास पुत्र ओमप्रकाश के पक्ष में 140 हिस्सा व अपने दोहता प्रतिवादी न0 7 के पक्ष में 112 हिस्सा की तस्दीक करवा दी थी।

जीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन धीरवासबड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू ने विवादित भूमि में से अपने नाम दर्ज 592 हिस्सा में से 252 हिस्सा अपने जीवनकाल में ही जरिये दान पत्र दिनांक 14.03.2018 के द्वारा सावत्री पत्नी ओमप्रकाश के पक्ष में 11 हिस्सा व अपने पोत्र रामनिवास पुत्र ओमप्रकाश के पक्ष में 140 हि... ...रण कर दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

जीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन धीरवासबड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू दिनांक 06.06.2023 को फौत हो गया इसलिए बाद देहांत जीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन धीरवासबड़ा के पास विवादित भूमि 592 हिस्सा में से 340 हिस्सा भूमि शेष रही जिसको

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

वसीयत के मुताबिक भूमि प्राप्तकर्ताओं में अनुपात में हिस्सा कम कर हिस्सा प्राप्त होगा इसलिए जीराम पुत्र बेगाराम के फौत होने पर विवादित भूमि में 340 हिस्सा भूमि शेष रही जिसको वसीयत के मुताबिक भूमि प्राप्त कर्ताओं में अनुपात से हिस्सा कम करने पर प्रतिवादीया न0 1 ता 6 को बहिब 196 हिस्सा प्राप्त होगा एवं प्रतिवादी न0 7 को 64 हिस्सा प्राप्त होगा एवं रामनिवास पुत्र ओमप्रकाश को 80 हिस्सा प्राप्त होगा।

रामनिवास पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर दिनांक 20.01.2021 को कुंवारा ही फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उसकी माता वादीया ही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त वाद भूमि आज भी मृतक जीराम पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीया अपने हकूक की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि अपने नाम अमल दरामद करवा पाने की अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि जो मृतक जीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन धीरवासबड़ा के नाम दर्ज है में वादीया को 80 हिस्सा की खातेदार काश्तकार होना स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा ले तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। महावीर, हरदत पि0 जीराम जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) जाब्ता दीवानी पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा ऐतराज जाहिर नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा संशोधित शिर्षक अर्जीदावा पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया। विनोद कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर मुख्त्यारनामा पेश किया की सरस्वती, गीता, गुड्डी, भंवरी पुत्रीयान जीराम जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर, रेशमी पुत्री जीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर, नानीबाई पुत्री जीराम जाति जाट निवासी चंगाई तहसील तारानगर ने रोही मौजा कानसर पटवार हल्का कानसर के खाता संख्या 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में हमारा हक हिस्सा है तथा हम मिकरान अपने हक हिस्सा की भूमि मं काबिज है एवं किसी प्रकार का विवाद आदि नही है हम मिकरान ने उक्त भूमि में अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा को अपने भानजे श्री विनोद कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर को हम अपना मुख्त्यार आम नियुक्त करती है एवं मुख्त्यार आम को निम्न अधिकारी देती है कि मुख्त्यार आम को यह अधिकार होगा कि मेरी उपरोक्त भूमि से संबंधित भारत में स्थित प्रत्येक प्रकार के न्यायायल में दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश करे, अन्य व्यक्ति द्वारा वाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, अन्य व्यक्ति द्वारा वाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जवाब दावा, जबाबुल जवाब, दावा की पैरवी हेतु वकील नियुक्त करे, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, वाद पत्र जवाबदावा व जवाबुल जवाब प्रतिवादी का सत्यापन करें, इन सत्यापन पर अपने हस्ताक्षर करे, प्रत्येक प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, शपथ पत्र प्रस्तुत करे, शपथ पत्र [illegible] करे, वकालतनामा पर हमारी ओर से हस्ताक्षर करे एवं समस्त कार्यवाही [illegible] अधिकार होगा उपरोक्त भूमि बाबत हमारा पारिवारिक समझौता [illegible] 3 को किया हुआ है को लागु करवाने के लिए मुख्तयारेआम को अधिकार होगा। पक्षकारान द्वारा राजीनाम पेश किया गया की रोही मौजा कानसर पटवार हल्का कानसर के खाता संख्या 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा हम मिकरान 1 ता 6 व मिकर संख्या 7 ने उक्त वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा है अपने मामा महावीर, हरदत पि0 जीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है। महावीर, हरदत पि0 जीराम उक्त भूमि में हमारे हक हिस्सा को न्यायालय से डिक्री करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाते है तो हम मिकरान सहमत है हम व हमारे वारिसान को इस बाबत कोइ उज्र एवं ऐतराज नही है सभी सहमत है।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया के पिता जीराम का देहांत हो चुका है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमावें। अधिवक्ता प्रतिवादी नेा भी वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि मे से 860/2357 हिस्सा भूमि जीराम पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार जीराम पुत्र बेगाराम का दिनांक 06.06.2020 को देहान्त हो चुका है। पक्षकारान द्वारा जरिये मुख्तयारनामा आम जरिये श्री विनोद कुमार द्वारा राजीनामा पेश किया गया की मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण के सहमति एवं राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण के सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में से वादीया को 1012/11785 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को बहिब 3288/11785 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है मृतक जीराम पुत्र बेगाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2024 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 319/2023
अनवान : –

1. सावत्री पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सरस्वती पुत्री जीराम पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. गीता पुत्री जीराम पत्नी दीपाराम जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
3. गुडडी पुत्री जीराम पत्नी सादुलराम जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
4. भंवरी पुत्री जीराम पत्नी मोहरसिंह जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
5. रेशमी पुत्री जीराम पत्नी संगताराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
6. नानीबाई पुत्री जीराम पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट साकिन चंगोई तहसील तारानगर।
7. विनोद कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र जीराम जाति जाट साकिन धीरवास तहसील तारानगर जिला चुरू।
10. हरदत पुत्र जीराम जाति जाट साकिन धीरवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 319 सन 2023 निर्णय दिनांक.......07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री हवासिंह पुनिया व वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में से वादीया को 1012/11785 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को बहिब 3288/11785 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है मृतक जीराम पुत्र बेगाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर